

# रोज़े के मसائل



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

هاتف: ٠١٦ ٤٢٢٤٤٦٦ فاكس: ٠١٦ ٤٢٢٤٤٧٧

227

أحكام الصيام - هندي

# रोज़े के मसائل



جمعية الدعوة والإرشاد ونوعية الجاليات في الزلفي

Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

**أحكام الصيام - هندي**  
أعدّه وترجمه إلى اللغة الهندية  
جمعية الدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بالزلفي  
الطبعة الثانية : ٨ / ١٤٤٢ هـ

ح) المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بالزلفي ١٤٣٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بالزلفي

**أحكام الصيام - الهندية / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد**

**و توعية الجاليات بالزلفي . - الزلفي، ١٤٣٩ هـ**

٣٢ ص ١٢×١٧ سم

ردمك: ٠-٩٦-٨٠١٣-٦٠٣-٩٧٨

١- الصوم أ. العنوان

ديوى ٢٥٢,٣ ١٤٣٩/٥٥٤١

رقم الإيداع: ١٤٣٩/٥٥٤١

ردمك: ٠-٩٦-٨٠١٣-٦٠٣-٩٧٨

## रोज़े के नियम

### रोज़े का हुक्म

रमज़ान का रोज़ा रखना इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुक्न है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर कायम है कलिमाए शहादत "लाइलाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, नमाज़ कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। (बुखारी 8, मुस्लिम 16)

अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के उद्देश्य से फ़ज़्र उदय होने लेकर से सूरज डूबने तक खाने, पीने, संभोग करने और उन तमाम चीज़ों से बाज़ रहने को रोज़ा कहते हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है।

इस बात पर सभी सहमत हैं कि रमज़ान का रोज़ा रखना फर्ज़ है क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185]

यानी, "तुम में से जो कोई रमज़ान का महीना पा ले वह उसका रोज़ा रखे।

रोज़ा प्रत्येक व्यस्क, समझदार मुसलमान पर फर्ज़ है और इंसान व्यस्क उस समय होगा जब वह 15 साल का हो जाए या नाफ़ के नीचे बाल निकल आए। या एहतिलाम और मणि खारिज होने लगे। और महिलाओं के लिए एक शर्त यह भी है कि उसे माहवारी आने लगे। कोई व्यक्ति इन चीज़ों में से किसी एक से भी दो चार होगा तो मानो वह वयस्क है।

## रमज़ान की फ़ज़ीलतें

अल्लाह तआला ने रमज़ान के महीने को बेपनाह फ़ज़ीलतों से नवाज़ा है जो दूसरे औक़ात में नहीं पायी जाती हैं। उनमें से कुछ फ़ज़ीलतें ये हैं:

1. फ़रिशते रोज़ेदारों के लिए बख़्शिश की दुआएं करते हैं, यहां तक कि वह इफ़्तार कर लें।
2. इस महीने में दुष्ट शैतान बेड़ियों में जकड़ दिये जाते हैं।
3. इस महीने में शबे क़द्र है, जो हज़ार रातों से बेहतर है।

इस महीने की फ़ज़ीलतों में ये भी शामिल हैं:

4. रमज़ान की आखिरी रातों में रोज़ेदारों को बख़्श दिया जाता है।
5. अल्लाह कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है और यह सिलसिला रमज़ान की सभी रातों में चलता रहता है।
6. रमज़ान के महीने में उमरा का सवाब हज के बराबर हो जाता है।

## रोज़े के अहकाम

इस महीने की फज़ीलतों में वह हदीस भी है जो अबू हु़रैरा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

जिसने रमज़ान के महीने में ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से रमज़ान का रोज़ा रखा तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। (बुखारी 38, मुस्लिम 760)

और एक हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

इब्ने आदम के हर नेक अमल का बदला दस गुना से लेकर सात सौ गुना हासिल होगा। अल्लाह कहता है सिवाय रोज़े के, क्योंकि बन्दा मेरे लिए रोज़ा रखता है और मैं ही उसका बदला दूंगा। (बुखारी 5927, मुस्लिम 1151)

## रमज़ान शुरु होने के प्रमाण

रमज़ान महीने की शुरुआत के लिए दो में से किसी एक चीज़ का होना ज़रूरी है।

1. रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखना। यदि रमज़ानुल मुबारक का चाँद दिखायी दे दे तो रोज़ा रखना अनिवार्य होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَكَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

जब तुम चाँद देखो तो रोज़ा रखो और जब चाँद देखो तो रोज़ा तोड़ो। (बुखारी 1900, मुस्लिम 1080)

रमज़ानु मुबारक के चाँद देखने के लिए एक आदिल और ईमानदार गवाह ही काफ़ी है। अलबत्ता ईद के चाँद के लिए दो आदिल गवाहों का होना ज़रूरी है।

2. शाबान महीना के तीस दिन पूरे होना। यदि शाबान का महीना पूरा हो गया तो अगला दिन रमज़ान का पहला दिन होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है:

فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

यदि आसमान में बादल छा जाए तो तीस की संख्या पूरा करो। (मुत्तफ़क अलैह, बुखारी 1907, मुस्लिम 1081)

## रोज़ा छोड़ने की अनुमति

1. ऐसा बीमार व्यक्ति जिसके स्वस्थ होने की उम्मीद हो और उस पर रोज़ा रखना मुश्किल हो रहा हो तो उसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है। अलबत्ता वह जितने दिनों का रोज़ा छोड़ेगा, बाद में उसकी क़ज़ा करेगा। और जिस की बीमारी बराबर रहने वाली हो और उसके अच्छे होने

की उम्मीद न हो तो उसपर रोज़ा ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता हर दिन के बदले डेढ़ किलो चावल या उस जैसी दूसरी चीज़ एक मिस्कीन को खिलाएगा। या ऐसा भी कर सकता है कि वह खाना बनाकर जितने दिनों का रोज़ा छोड़ा है, उतने मिस्कीनों को खाना खिला दे।

2. **मुसाफ़िर**: मुसाफ़िर जब अपने घर से निकलेगा, यदि रुकने और रहने की नीयत न हो, तो वापसी तक वह रोज़ा छोड़ सकता है।

3. यदि गर्भवती महिला हो, या दूध पिला रही हो, और उसे यह आशंका हो कि नुक़सान हो सकता है, तो उसके लिए रोज़ा छोड़ देना जायज़ है। जब कारण समाप्त हो जाए तो जितने दिनों का रोज़ा छोड़ा है, उतने दिनों का कज़ा करेगी।

4. बूढ़े लोगों को, जो रोज़ा रखने का सामर्थ्य न रखते हों, रोज़ा छोड़ देने की अनुमति है। ऐसे व्यक्ति पर कज़ा भी वाजिब नहीं है बल्कि वह हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा।

## जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है

1. जान बूझ कर खाना और पीना: भूल से खाने या पीने से रोज़ा नहीं टूटता है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْسَ صَوْمُهُ،



जो रोज़े की हालत में भूलकर खा पी ले तो उसे चाहिए कि वह अपने रोज़े को पूरा करे (सही मुस्लिम 1155)

इसी तरह नाक के रास्ते पेट में पानी पहुंचे, या रग के द्वारा खाने के पदार्थों को लेने या खून चढ़ाने से रोज़ा टूट जायेगा, क्योंकि यह रोज़ेदार को खाना देने के समान है।

2. संभोग: जब रोज़ेदार संभोग करेगा तो उसका रोज़ा ख़राब हो जायेगा। और उस पर कफ़ारा के साथ क़ज़ा होगी। उसका कफ़ारा यह है कि एक गर्दन आज़ाद कराये। यदि उसकी शक्ति न हो तो लगातार दो महीनों के रोज़े रखे। और किसी शर्ई कारण, जैसे ईदैन और तशरीक के दिनों में, या बीमार हो जाए, या रोज़ा छोड़ने की नीयत के बिना किसी दूसरे कारण से इन दिनों में रोज़ा न छोड़े।

यदि बिना शर्ई उज़्र के एक दिन भी रोज़ा छोड़ेगा तो उसपर नये सिरे से रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाएगा ताकि सिलसिला बरकरार रहे। यदि वह लगातार दो महीने का रोज़ा नहीं रख सकता है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए।

3. इंसान जानबूझ कर ऐसी हरकत करे, या चुम्बन आदि ले, जिसकी वजह से मणि निकल आए तो ऐसी स्थिति में रोज़ा ख़राब हो जाता है और कफ़ारा के बिना उसकी क़ज़ा वाजिब होगी, अलबत्ता केवल रतूबत ख़ारिज होने पर रोज़ा फ़ासिद नहीं होता।

4. इंजक्शन के जरिया रक्तदान करने से रोज़ा फ़ासिद नहीं होता है। इसी तरह नक्सीर, घाव या दांत गिरने की स्थिति में अनायास ही खून बहने लगे, तो रोज़ा ख़राब नहीं होगा ।

5. जानबूझ कर उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता यदि अकस्मात उल्टी हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है ।

रोज़ा तोड़ने वाली उन चीज़ों से रोज़ेदार का रोज़ा, उसी स्थिति में टूटेगा जबकि उसने इनका इस्तेमाल जान बूझ कर किया हो। उसे याद हो और जानते बूझते अंजाम दिया हो ।

यदि वह इन चीज़ों के शर्ई आदेश से अवगत न हो, जैसे वह समझता हो कि फ़ज़्र का समय नहीं हुआ है, या उसके विचार में सूरज डूब चुका है, और खा पी ले तो इन अवस्थाओं में रोज़ा नहीं टूटेगा ।

इसी तरह से यदि भूल गया हो तो उसका रोज़ा सही होगा

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ के इस्तेमाल के समय उसे अख़्तियार हो, यदि उसे मजबूर किया गया हो तो उसका रोज़ा सही होगा। और उसपर कज़ा वाजिब नहीं होगी।

6. रोज़ा को ख़राब करने वाली चीज़ों में माहवारी या नफ़ास (जन्म के समय के खून का निकलना) भी शामिल है। जब औरत खून देखेगी तो उसका रोज़ा टूट जायेगा। उसी तरह जब महिला माहवारी की अवस्था में हो तो उसपर रोज़ा रखना हराम है। अलबत्ता जितने दिनों का रोज़ा छोड़ा होगा, वह रमज़ान के बाद उतने दिनों की कज़ा करेगी।

## जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता

1. स्नान करने, या तैरने या पानी के ज़रिया गर्मी से बचने से
2. तुलू-ए-फ़ज़्र से पहले खानेपीने या हमबिस्तरी करने से।
3. मिस्वाक करने से, दिन में किसी समय भी मिस्वाक किया जाए, उससे रोज़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल्कि यह मुस्तहब कामों में से एक है।

4. हलाल दवा के इस्तेमाल से, शर्त यह है कि उससे गिज़ा हासिल न होती हो। अतएव ऐसा इंजेक्शन लिया जा सकता है, जिसमें गिज़ाइयत न हो। कान या आँख में ड्रॉप भी डाला जा सकता है यद्यपि इंसान के हलक़ में दवा के मज़ा का एहसास हो जाए। अलबत्ता इफ़तार के समय तक इन चीज़ों को टालना बेहतर है।

इसी तरह स्परे का इस्तेमाल भी जायज़ है। खाना चखने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। शर्त यह है कि इंसान के पेट में कुछ न पहुंचे।

उसी तरह कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में भी कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता इन चीज़ों में ज़्यादती नहीं करनी चाहिए ताकि कोई चीज़ इंसान के पेट तक न पहुंच जाए।

खुशबू इस्तेमाल करने और पाकीज़ा खुशबुओं को सूंघने में कोई हर्ज नहीं है।

5. माहवारी से गुज़र रही महिला का खून रात में बन्द हो जाए तो उनके लिए तुलू-ए-फ़ज़ तक स्नान का टालते रहना जायज़ है। उसी तरह से जुनुबी का भी मसला है।

### नोटः

1. यदि कोई काफिर रमज़ान के दिन में ईमान लाएगा तो वह उसे दिन का शेष हिस्सा खाने पीने और दूसरी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से बाज़ रहेगा। और उसपर क़ज़ा वाजिब नहीं होगी।

2. फ़र्ज़ रोज़ा और नफ़ल रोज़ा: शव्वाल के 6 रोज़े अरफ़ा के दिन का रोज़ा, और आशूरा का रोज़ा रखने वालों के लिए यह ज़रूरी है कि वह तुलू-ए-फ़ज़ से पहले रात के किसी हिस्से में उसकी नीयत कर लें।

अलबत्ता मुतलक़ नफ़ल रोज़ों जैसे हर महीने के तीन रोज़े, उनकी नीयत तुलू-ए-फ़ज़ के बाद दिन के कुछ हिस्से गुज़रने पर भी की जा सकती है, शर्त यह है कि उससे पहले कुछ न खाया हो।

3. रोज़ेदार के लिए मुस्तहब है कि वह रोज़ा तोड़ने से पहले दुआ करे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: "रोज़ेदार की इफ़तार के वक़्त की दुआ कदापि रद्द नहीं होती है। (सुनन इब्न माजा 1734) और इस बारे में दुआ आइ है कि वह कहे

ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

जहबज्जमउ वब्तल्लतिल उरुको व सबतल अज़र इनशा अल्लाह

4. जिसे दिन के बीच में रमज़ान शुरु होने की ख़बर मिले तो उस पर ज़रूरी है कि वह उस समय से खाना-पीना छोड़ दे और उसकी कज़ा करे।

5. जिस व्यक्ति का कज़ा रोज़ा बाकी हो, उसे चाहिए कि जिम्मेदारी निभाने के उद्देश्य से उसे अदा करने में जल्दी करे। अलबत्ता इस ताल्लुक से देर करना भी जायज़ है और अपनी कज़ा को लगातार या अलग अलग भी अदा कर सकता है। अलबत्ता किसी उज़्र के बिना दूसरे रमज़ान तक नहीं टाल सकता।

## रोज़ा की सुन्नतें

सेहरी खाना: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً

सेहरी खाया करो, क्योंकि सेहरी खाने में बरकत है।  
बुख़ारी 1923, मुस्लिम 1095)

इस ताल्लुक से सुन्नत यह है कि सेहरी को रात के अंतिम हिस्से में खाया जाए। क्योंकि हदीस में आया है

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْإِفْطَارَ، وَأَخَّرُوا السُّحُورَ

मेरी उम्मत उस वक़्त तक भलाई पर कायम रहेगी जब तक कि वह इफ़्तार में जल्दी और सेहरी में देर करती रहेगी। (सहीहुल जामे 2835)

2. जब सूरज डूब जाए तो इफ़तार में जल्दी करना चाहिए और सुन्नत यह है कि रूतब खजूर से इफ़तार करना चाहिए। यदि रूतब खजूर उपलब्ध न हो तो सूखे खजूर से, वह भी उपलब्ध न हो तो फिर पानी से और यदि उनमें से कोई न हो तो फिर जो उपलब्ध हो, उससे इफ़तार करे

1. रोज़े में विशेष रूप से इफ़तार के समय दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُطْلُومِ

तीन तरह की दुआएं ऐसी हैं जो कुबूल की जाती हैं एक रोज़ेदार की दुआ, मज़लूम की बददुआ और तीसरी मुसाफ़िर की दुआ। (इसे बेहकी आदि ने उल्लेख किया है।)

रोज़ेदार को रमज़ान की रातों में तरावीह का एहतिमाम करना चाहिए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में कियाम किया तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। (बुखारी 2009, मुस्लिम 759)

मुसलमान को इमाम के साथ पूरी तरावीह की नमाज़ पढ़नी चाहिए। इस लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है:

من قام مع إمامه حتى ينصرف كُتِبَ له قيام ليلة

जो इमाम की घर वापसी तक उसके साथ कियाम किया (यानी खड़ा होकर नमाज़ अदा की) तो उसके हक में पूरी रात कियाम का सवाब लिखा जायेगा। (इसे अहले सुन्नन ने रिवायत किया है।)

इसी तरह से रमज़ान के महीने में इंसान को सदाका का अधिक से अधिक एहतिमाम करना चाहिए।

इसी तरह ज्यादा से ज्यादा कुरआन करीम की तिलावत करनी चाहिए। क्योंकि रमज़ान का महीना कुरआन का महीना है और कुरआन पढ़ने वाले को हरेक अक्षर के बदले दस नेकी हासिल होती है और एक नेकी का बदला दस गुना मिलता है

### तरावीह की नमाज़

रमज़ान के महीने में जमाअत के साथ रात में नमाज़ पढ़ने (कियामुल्लैल) को तरावीह कहते हैं। उसका समय इशा के बाद से तुलूए फ़ज़ तक है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कियामे रमज़ान की ताकीद फरमायी है।

सुन्नत यह है कि इंसान ग्यारह रकअतें पढ़े और हर दो रकअतों के बाद सलाम फेरे। और यदि ग्यारह रकअतों से ज्यादा पढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं है। तरावीह की नमाज़ इत्मिनान और सुकून से पढ़नी चाहिए और इतनी लंबी किरअत (कुरआन पाठ) मुस्तहब है जो नमाज़ियों पर बार न हो। और यदि किसी फिलने का डर न हो तो औरतों के

तरावीह में शामिल होने में कोई हर्ज नहीं है। शर्त यह है कि पर्दे में हों और श्रृंगार का प्रदर्शन करती हुई खुशबू लगा कर न आएँ।

## नफ़ली रोज़े

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निम्नलिखित दिनों के रोज़ों पर उभारा है:

1. शव्वाल के 6 रोज़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख लिए तो यह उसके लिए साल भर रोज़ा रहने की तरह से होंगे। (सही मुस्लिम 1164)

2. सोमवार और जुमेरात के दिन के रोज़े।

3. हर महीने के तीन दिन के रोज़े यदि ये रोज़े अय्यामे बीज़ के रखे तो बेहतर होगा और अय्यामे बीज़ तेरहवें, चौदहवें और पन्द्रहवें दिन को कहते हैं।

2. आशूरा, यानी दसवीं मुहर्रम के दिन। इस बारे में मुस्तहब यह है कि उसके साथ एक दिन पहले या एक दिन बाद (यहूदियों की मुखालिफ़त में) रोज़ा रखा जाए। अबू क़तादा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:



صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

आशूरा के रोज़ा के बारे में अल्लाह से मेरी उम्मीद है कि उसके बदले पिछले एक साल का गुनाह माफ़ कर देगा। (सही मुस्लिम 1162)

3. अरफ़ा यानी नबी ज़िलहिज्जा के दिन का रोज़ा: हदीस में आया है

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

अरफ़ा के दिन के रोज़ा के ताल्लुक़ से, अल्लाह से मेरी उम्मीद है कि वह उससे पहले और उसके बाद वाले साल होने वाली ग़लतियों को माफ़ फ़रमा देगा। (सही मुस्लिम 1162)

### जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है

1. ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा के दिन।

2. अय्यामे तशरीक़ यानी ज़िल हिज्जा की ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं तारीख़। अलबत्ता जो व्यक्ति हज्जे केरान कर रहा होगा उसे इस हुक्म से छूट है। उसी तरह से हज्जे तमत्तो करने वाला भी जब उसे कुरबानी का जानवर उपलब्ध न हो।

3. हैज़ (माहवारी) और नफ़ास के दिनों में।

4 महिलाओं के पति की उपस्थिति में, उसकी अनुमति के बिना रोज़ा रखना। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

कोई औरत रमज़ान के अलावा, अन्य दिनों में अपनी पति की मौजूदगी में उसकी अनुमति के बिना रोज़ा न रखे।  
(बुख़ारी 5192, मुस्लिम 1026)